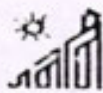


201 4/2/21/8 'ख'



कार्यालय आयुक्त आमेर जोन
नगर निगम जयपुर

1212 1514

क्रमांक - 794

दिनांक 5-4-13.

जिला कलेक्टर
जयपुर

विषय:- कनक वृन्दावन से जयगढ़-नाहरगढ़ रोड जंक्शन तक रोपवे निर्माण के लिए 1.51 है. वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।
संदर्भ:- आपका पत्रांक आर-1 () 11/विविध/2284 दि. 14.03.13 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त प्रस्ताविक पत्र के संदर्भ में कनक वृन्दावन से जयगढ़-नाहरगढ़ रोड जंक्शन तक रोपवे निर्माण के लिए 1.51 है. वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में। परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) 2006 के तहत किसी के तक अधिकार प्रदानित नहीं होते हैं। अतः इस स्थानीय निवासियों परम्परागत रोपवे निर्माण के संबंध में कोई आपाति नहीं है।

अतः यह आपाति प्रमाण पत्र कनक वृन्दावन से जयगढ़-नाहरगढ़ रोड जंक्शन तक 1.51 है. वन भूमि पर रोपवे निर्माण कार्य उपरोक्त नियमों के संदर्भ में जारी किया जाता है।

आयुक्त

आमेर जोन
नगर निगम जयपुर

प्रतिनिधि: निम्नलिखित का सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. गाँव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सदस्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गाँव, नगर निगम जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला गाँव, जयपुर।
4. आयुक्त(राज्य), नगर निगम जयपुर के कार्यालय के पत्रांक एफ 6 () कलकत्ता/जयपुर/2013/1363 दि. 28.03.13 के संदर्भ में।

8/4/13
(Collection)

आयुक्त

छायाप्रति प्रमाणित

नगर निगम जयपुर

अधिसाक्षी अभियन्ता (रिंग रोड)

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर